

## कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा


### कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.17(2) शिक्षा-2/2003 जयपुर दिनांक 24.05.17 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था-1ए/ 3बी/2017 दिनांक 25.05.2017 की पालना में प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समन्वित किये गये विद्यालयों के निम्नांकित अधिशेष वरिष्ठ अध्यापकों का पदस्थापन/समायोजन आयोजित परामर्श कैंम्प में उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर इनका समायोजन नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

क्र.सं.	नाम वरिष्ठ अध्यापक	विषय	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	समायोजित विद्यालय का नाम	जिला
1.	दयाकिशन नागर	अंग्रेजी	रामावि कोठ्या	बून्दी	राउमावि मण्डावरा	बून्दी

1. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच/लंबे समय से अनुपस्थित/निलम्बन/न्यायालय स्थगन से संबंधित कोई प्रकरण/प्रक्रिया चल रही है तो, ऐसी स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देवें।
2. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छा शिक्षा सेवा नियम-2011 के तहत समायोजित कार्मिक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा तत्काल सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।


संबंधित वरिष्ठ अध्यापकों को नवीन समायोजित स्थान पर दिनांक 12.6.2017 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। इन्हें माह जून 2017 का वेतन नवीन स्थान से ही देय होगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना अविलम्ब स्थानीय कार्यालय में भिजवाये एवं शाला दर्पण पर इनकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, कोटा

क्रमांक : उनिमाशि/को/संस्था-3(20303)/2017/ 222 दिनांक 04.06.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 2-उपनिदेशक (प्रारंभिक) शिक्षा विभाग, कोटा
- 3-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-संबंधित बीईईओ
- 5-संबंधित संस्था प्रधान
- 6-संबंधित कार्मिक
- 7-रक्षित पत्रावली

  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, कोटा